न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–24/2013

मो0 उसमान बगै0 आवेदक

बनाम

मो0 नईम विपक्षी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख–सहित 3.
28.01.15	आवेदक 01. मो0 उसमान 02. मो0 याकुब उभय के पेसरान स्व0 गफुर नदाफ वो 03. मो0 यासीन अली 04. मोती अली उभय के पेसरान स्व0 इब्राहिम नदाफ सभी साकिनान–करूवा, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया ने मो0 नईम पे0–स्व0 मो0 रसुल, साकिन–करूवा, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया को विपक्षी बनाते हुए निम्नलिखित ब्यौरे की जमीन पर यह वाद लाया है :– **मौजा तौजी थाना खाता खेसरा रकवा** **चौथम 8341 171 498 2618 1–14–0** **(एक बिघा चौदह कट्ठा)** आवेदक का दावा है कि अपने पूवर्ज के समय से ही विवादी भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार के साथ दखलकार चले आ रहे है। उक्त विवादी जमीन की जमाबंदी संख्या–44 एवं 91 उनके पिता जी के नाम से चली आ रही है जिसका लगान भी वे देते आ रहे है। अपने दावे के प्रमाण के रूप में उनकी चौहद्दी पर बिक्री की गयी जमीन के केवाला में दर्शाया गया चौहद्दी पर उनके पूर्वज का नाम अंकित किया है। जैसा कि राम पुकार सिंह द्वारा रामधनी मुनी को निबंधित केवाला दिनांक 26.02.1960 द्वारा बिक्री की गयी भूमि के खेसरा 2621 की उत्तरी चौहद्दी आवेदक संख्या–01 एवं 02 के पिता इब्राहिम का नाम अंकित है। उसी प्रकार बालेश्वर प्रसाद सिंह के केवाला दिनांक 05.03.1966 में खेसरा 2620 की पूर्वी चौहद्दी में आवेदकगण के पिता मो0 इब्राहिम मियाँ एवं गफुर मियाँ का नाम अंकित है। दिनांक 12.04.1972 को रामधनी चौधरी खेसरा 1419 की जमीन बिक्री करते हैं जिसके दक्षिणी चौहद्दी में आवेदकगण के चाचा मो0 इसमाईल का नाम दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर विवादी जमीन का खेसरा 2618 पर आवेदकगण अपना स्वत्व एवं अधिकार के साथ दखलकार बताते है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख–सहित 3.

आवेदकगण का कहना है कि विपक्षी मो0 नईम गलत ढंग से बिना कोई स्वत्व अधिकार वो कब्जा के खाता 498 खेसरा 2618 की जमाबंदी संख्या–04 बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश से अपने नाम कायम करवा लिया है, जो संबंधित जमाबंदी के अवलोकन से पता चल जायेगा। आवेदकगण ने विवादी जमीन विपक्षी या उनके पूर्वज के हाथ बिक्री करने से इन्कार किया है।

विपक्षी ने प्रत्युत्तर दाखिल कर कहा है कि विवादी खेसरा 2618 की जमीन उनकी है जिसका निर्णय विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा उभयपक्ष के बीच चला मुकदमा विविध वाद संख्या–01/2010–11 में निर्णीत है जिसमें जमाबंदी संख्या–04 बनाम नईम अली (विपक्षी) में वर्णित जमीन नईम अली (विपक्षी) की है। साथ ही उसकी जमाबंदी संख्या–04 जमाबंदी दाखिल खारिज वाद संख्या–45/1995–96 के आधार पर कायम है। इसी जमाबंदी में खेसरा 2618 की 1 विघा 14 कट्ठा जमीन भी विपक्षी सम्मिलित बताता है।

विपक्षी का कहना है कि उक्त विविध वाद संख्या–01/2010–11 के विरूद्ध आवेदक उसमान अली ने माननीय आयुक्त न्यायालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर में विविध अपील वाद संख्या–04/11 दायर किया था जो खारिज हो गया है। उसके विरूद्ध आवेदकगण किसी सक्षम न्यायालय में कोई मामला दायर नहीं किया है और इस न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर यह वाद दायर कर दिया है जो खारिज योग्य है। उन्होंने विवादी जमीन पर धारा 144Cr.P.C के तहत मुकदमा भी चलने की बात बतायी है तथा न्यायालय के आदेश के आलोक में नापी वाद संख्या–15/2006–07 के अंतर्गत भूमि की पैमाईश में विपक्षी को खेसरा 2618 पर दखलकार पाया गया था। प्रथम पक्ष उन्हें अनावश्यक रूप से तंग तवाह लंबे समय से करते आ रहे है। वर्ष 2013–14 तक लगान रसीद विपक्षी प्राप्त करने का दावा करते है तथा उस पर ट्रक्टर हेतु ऋण भी प्राप्त किया है। प्रथम पक्ष बदनीयती से यह वाद दायर किया है।

उभयपक्ष को विस्तार से सुना। आवेदक गण ने संक्षिप्त बहस टिप्पणी भी समर्पित किया है। उसका अवलोकन किया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख–सहित 3.

आवेदकगण ने निम्नलिखित दो लगान रसीद दाखिल किया है :–

क्रमांक	रसीद संख्या / तिथि	रैयत का नाम	तौजी / जमाबंदी संख्या	मौजा / थाना नं0	रकवा / वि0क0धू0धूरकी
01.	458503 / 21.12.09	अब्दुल गफूर	8341 / 44	चौथम / 171	1–11–19–10
02.	00755343 / 16.12.14	मो0 इस्माईल	8341 / 92	चौथम	1–4–13–14–10
03.	261814 / 31.3.??	मो० इब्राहिम	8341 / 91	चौथम	1-5-0-15

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा तथाकथित विविध वाद संख्या–01/2010–11 उसमान अली बनाम नईम अली की छायाप्रति का अवलोकन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने छः पृष्ठ के लम्बा आदेश पारित किया है। अंत में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने लिखा है कि "प्रश्नगत जमीन के संबंध में उस्मान अली द्वारा आपने पक्ष में कोई भी मजबुत साक्ष्य नहीं उपलब्ध करा पाने के कारण उपलब्ध कागजात एवं अभिलेख के आधार पर जमाबंदी संख्या–04 को नईम अली का माना जा सकता है तथा उक्त जमाबंदी में दर्ज खेसरा भी नईम अली का ही माना जा सकता है।"

आदेश के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने अपने उक्त आदेश में सम्भावना व्यक्त किया है। अपने Finding में विवादी जमीन किस की है इस निर्णय पर साक्ष्य के आधार पर नहीं पहूँच पाये है और सही निर्णय पारित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं क्योंकि आदेश पढ़ने से यह मालूम होता है कि मो0 नईम भी अपने स्वत्व के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील वाद संख्या–41/2011 में पारित आदेश की छायाप्रति का अध्ययन किया। उस आदेश में माननीय आयुक्त महोदय ने मामले का विविध वाद बताते हुए उनके न्यायालय में संधारणीय नहीं है इसलिए प्रविष्टि नहीं की गयी है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख–सहित 3.

आवेदकगण द्वारा दाखिल Application for information के अवलोकन से स्पष्ट है कि दाखिल खारिज वाद संख्या–45 / 95 के अनुसार 02 कट्ठा 10 धूर जमीन सच्चिदानन्द साह वो उपेन्द्र साह वो अशोक साह पे0–राम खेलावन साह के नाम जमाबंदी संख्या–196 से आया है। इसकी जमाबंदी संख्या–822 कायम की गयी है। संबंधित जमीन का मौजा ढुट्टी मोहनपुर थाना–123 तौजी नं0–5083 खाता 403 वो खेसरा 2114, 2115 बताया गया है।

अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्गत सूचना के अनुसार दाखिल खारिज वाद सं0–45 / 95–96 में सच्चिन्द्र साह पे0–राम खेलावन साह, सा0–ढुट्टी के नाम से खाता 403, खेसरा 2114, एवं 2115 की –0–210 (दो कट्ठा दस धूर) भूमि का दाखिल खारिज हुआ है।

संबंधित जमाबंदी पंजी–II का अवलोकन किया। जमाबंदी संख्या–04 बनाम मो0 नईम अली के Authority for change column में दाखिल खारिज वाद संख्या–45 / 1995–96 का उल्लेख है परन्तु जमाबंदी संख्या 822 बनाम सच्चिन्द्र साह बगै0 मौजा ढुट्टी से संबंधित है के Authority column में दाखिल खारिज वाद संख्या–45 / 1995–96 दर्ज है। इससे प्रमाणित होता है कि मो0 नईम अली के नाम मौजा चौथम में कायम जमाबंदी संख्या–4 अवैध रूप से दर्ज किया गया है।

आवेदकगण से संबंधित जमाबंदी संख्या–44 एवं 91 का अवलोकन किया। Authority for charge column विधिवत दाखिल खारिज वाद संख्या का उल्लेख करते हुए दोनों जमाबंदी कायम की गयी है एवं विधिवत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विपक्षी का दावा कि प्रश्नगत विवादी भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या–45 / 1995–96 के द्वारा जमाबंदी संख्या–4 कायम हुआ है बिल्कुल ही असत्य एवं जालसाजी है। चूँकि यह जमाबंदी जालसाजी कर कायम किया गया है इसलिए यह वैध नहीं है और बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9(11) के अनुसार विधि के उल्लंघन में सृजित की गयी है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/1/15 23/1/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

ज्ञा० सं० 34 दिनांक 04-02-15

प्रतिलिपि- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खगड़िया, अंचल अधिकारी, चौथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि - जिला सूचना पदाधिकारी एन०आई०सी० खगड़िया निदेश है कि आदेश को खगड़िया जिला के वेबसाईट पर अप लोड करें।

अपर समाहर्त्ता खगड़िया

04-02-15